रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 1 अक्तूबर, 1974

आश्विन 9, 1896 शक संवत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 3501/सत्रह-वि-1—162-74

लखनऊ, 1 अक्तूबर, 1974

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा विमुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1974 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, 1974) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा विमुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1974

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, 1974)

(भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों के सदस्यों की ऋणग्रस्तता से अनुतोष का उपबन्ध करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :

1—(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा विमुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1974 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

कतिपय ऋणों तथा दायित्वों पर प्रभाव न पड़ना

2—इस अध्यादेश की किसी बात का प्रभाव निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले किसी अनुसूचित ऋणी के ऋणों तथा दायित्वों पर नहीं पड़ेगा, अर्थात्—

(क) ऐसे ऋणी को किराये पर दी गई किसी सम्पत्ति के संबंध में देय कोई किराया;

(ख) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा साक्ष्यित कोई संव्यवहार;

(ग) न्यास-भंग से उद्भूत कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य दायित्व;

(घ) की गई सेवाओं के लिये वेतन के रूप में या अन्यथा देय मजदूरी अथवा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कोई दायित्व;

(ङ) भरण-पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व चाहे वह न्यायालय की डिक्री के अधीन हो अथवा अन्यथा;

(च) निम्नलिखित को देय कोई ऋण—

(1) केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार;

(2) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(3) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा-परिभाषित कोई बैंकिंग कम्पनी;

(4) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा-परिभाषित कोई निगम;

(5) कोई सहकारी समिति;

(6) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी।

(छ) कोई ऋण जो ऐसे ऋणी द्वारा क्रय किये गये माल की कीमत के बारे में हो।

परिभाषायें

3—अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "सिविल न्यायालय" के अन्तर्गत—

(क) प्राविंशियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, 1920 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

(ख) यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, 1947 के अधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत;

(ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

भी है;

(2) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी समिति से है;

(3) "ऋण" का तात्पर्य नकद अथवा वस्तु के रूप में किसी अधिदाय से है चाहे उसके लिये डिक्री हुई हो अथवा नहीं, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा संव्यवहार भी है जो सार रूप में ऋण हो;

(4) "विमुक्त जाति" का तात्पर्य इस अध्यादेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी जन-जाति अथवा जन-जातीय समुदाय के किसी सदस्य से है;

(5) "अनुसूचित जाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति से है;

(6) "अनुसूचित ऋणी" का तात्पर्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति या विमुक्त जाति के व्यक्ति से है जो साधारणतया उत्तर प्रदेश का निवासी हो और जो भूमिहीन कृषि-श्रमिक हो।

ATIONAL ARCHIVES OF IND

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ पद "भूमिहीन कृषि-श्रमिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि-श्रम या खेती करना है और जिसके द्वारा—

(क) उत्तर प्रदेश में भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में कोई भूमि धृत नहीं है; या

(ख) उत्तर प्रदेश में भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में 0.404686 हेक्टर (एक एकड़) तक भूमि धृत है;

(7) "अनुसूचित जन-जाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जन-जाति से है।

4—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी ऐसी संविदा या अन्य लिखत में जो ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी हो, किसी बात के होते हुए, और इस अध्यादेश में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से, एतत्पश्चात् दिये गये परिणाम होंगे, अर्थात्— इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के परिणाम

(क) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व लेनदार को अनुसूचित ऋणी द्वारा देय प्रत्येक ऋण, जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई हो, की धनराशि भी है, पूर्णतया उन्मोचित समझा जायगा;

(ख) अनुसूचित ऋणी द्वारा देय कोई भी ऋण उससे अथवा उसकी किसी भी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति से वसूलीय न होगा, और उसके विरुद्ध ऐसे ऋण से सम्बन्धित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिये कोई ऐसी सम्पत्ति न तो कुर्क की जा सकेगी, न बेची जा सकेगी और न उसके विरुद्ध किसी अन्य रीति से कार्यवाही की जा सकेगी;

(ग) कोई भी सिविल न्यायालय ऋण की किसी भी धनराशि की जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई हो, भी है, वसूली के लिये किसी अनुसूचित ऋणी के विरुद्ध कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा:

परन्तु जहां कि किसी अनुसूचित ऋणी तथा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अथवा कार्यवाही संयुक्त रूप से संस्थित की जाय वहां इस खण्ड की कोई बात, वाद लाये जाने अथवा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जहां तक कि उसका सम्बन्ध ऐसे अन्य व्यक्ति से है, लागू न होगी;

(घ) किसी अनुसूचित ऋणी के विरुद्ध किसी ऋण की वसूली के लिये इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक को लम्बित समस्त वाद तथा कार्यवाहियां (जिसके अन्तर्गत अपीलें, पुनरीक्षण, कुर्की अथवा निष्पादन की कार्यवाहियां भी हैं) उपशमित हो जायेंगी:

परन्तु इस खण्ड की कोई बात किसी ऐसे विषय पर जिसे इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व पुष्ट कर दिया गया हो, लागू न होगी।

(ङ) प्रत्येक अनुसूचित ऋणी, जो किसी ऋण के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा धन के लिये उसके विरुद्ध पारित की गई किसी डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हो, छोड़ दिया जायगा;

(च) किसी अनुसूचित ऋणी द्वारा गिरवी रक्खी गई प्रत्येक सम्पत्ति इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने पर ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जायगी, और लेनदार उसे तुरन्त वापस करने के लिये बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व अनुसूचित ऋणी ऋण के किसी ऐसे भाग को जिसका उसने पहले ही भुगतान कर दिया हो, या जो उससे वसूल किया गया हो, वापस पाने का हकदार होगा।

5—प्रत्येक रूढ़ि, परम्परा अथवा करार (चाहे वह इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया हो या इसके पश्चात् किया जाय) जिसके अधीन किसी अनुसूचित ऋणी अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य से लेनदार के लिये श्रमिक के रूप में या अन्य कार्य करना अपेक्षित हो, शून्य होगा। ऋण के बदले में श्रम कार्य संबंधी करार का शून्य होना।

ARCHIVES OF IND

अनुसूची

[धारा 3(4) देखिये]

विमुक्त जातियों की सूची

1—बंजारा
2—भर
3—बलेरा बहार
4—गंडीला
5—कांजी (हिन्दू)
6—केवट
7—मल्लाह
8—घोष
9—मेवाती
10—बोरिया
11—नगा भाट
12—खुरपलटा
13—मुनिया (मुंग)
14—मदारी
15—सिरकीवाला
16—बोपड़
17—बंद
18—भाट
19—बावर मोलगा
20—जोगी
21—भांगा
22—किन्निरिया
23—महावत (मुस्ली पठान)
24—कलन्दर फकीर
25—मलारी
26—सपेरा
27—कुचबंदिया (हिन्दू मदारन)
28—बेलदार
29—कबूतरिया
30—गोसाई
31—गोदनहार
32—पोना बमार
33—बर्री
34—सिकलीगर
35—हंकाली
36—कूचबन्दी

अकबर अली खां,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

No. 3301 (2)/XVII-V-1—102-1974

Dated Lucknow, October 1, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Anusoochit Jatiyan, Anusoochit Jan-Jatiyan tatha Vimukta Jatiyan Rin Anutosh Adhyadesh, 1974 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 18 of 1974) promulgated by the Governor on October 1, 1974 :

THE UTTAR PRADESH SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND DENOTIFIED TRIBES DEBT RELIEF ORDINANCE, 1974

(U. P. Ordinance No. 18 of 1974)

(*Promulgated by the Governor in the Twenty-Fifth Year of the Republic of India*)

An

ORDINANCE

to provide for relief from indebtedness to members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Denotified Tribes.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and extent.

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Denotified Tribes Debt Relief Ordinance, 1974.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. Nothing in this Ordinance shall affect debts and liabilities of any Scheduled debtor falling under the following heads, namely,— *Certain debts and liabilities not to be affected.*

(*a*) any rent due in respect of any property let out to such debtor;

(*b*) any transaction evidenced by a registered document;

(*c*) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability;

(*d*) any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered;

(*e*) any liability in respect of maintenance whether under a decree of court or otherwise;

(*f*) a debt due to—

(i) the Central Government or any State Government;

(ii) any local authority;

(iii) any banking company as defined in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972;

(iv) any corporation as defined in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972;

(v) any co-operative society;

(vi) any Government company within the meaning of the Companies Act, 1956;

(*g*) any debt which represents the price of goods purchased by such debtor.

3. In this Ordinance, unless the context otherwise requires— *Definitions.*

(i) "civil court" includes—

(*a*) any court exercising jurisdiction under the Provincial Insolvency Act, 1920;

(*b*) a Nyaya Panchayat established under the U. P. Panchayat Raj Act, 1947;

(*c*) a court exercising powers under the Provincial Small Causes Courts Act, 1887;

(ii) "co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under the provisions of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965;

(iii) "debt" means an advance in cash or kind, whether decreed or not, and includes any transaction which is in substance a debt;

(iv) "denotified tribe" means a member of any tribe or tribal community specified in the Scheduled to this Ordinance;

(v) "Scheduled Castes" means a Scheduled Castes specified in an order by the President under clause (1) of Article 341 of the Constitution;

(vi) "Scheduled debtor" means a person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Denotified Tribe and is ordinarily resident in Uttar Pradesh and who is a landless agricultural labourer.

Explanation—For the purposes of this clause, the expression "landless agricultural labourer" means a person whose main source of livelihood is agricultural labour or cultivation and who—

(*a*) holds no land in Uttar Pradesh as a *bhumidhar*, *sirdar*, *asami* or Government lessee; or

(*b*) holds land up to 0.404686 hectares (one acre) in Uttar Pradesh as a *bhumidhar*, *sirdar*, *asami* or Government lessee;

(vii) "Scheduled Tribe" means a Scheduled Tribe specified in an order made by the President under clause (1) of Article 342 of the Constitution.

4. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract or other instrument having force by virtue of any such law, and save as otherwise expressly provided in this Ordinance, the consequences as hereinafter set forth shall, with effect from the date of commencement of this Ordinance, ensue, namely :— *Consequences of commencement of this Ordinance.*

(*a*) every debt advanced before the commencement of this Ordinance including the amount of interest, if any, payable by a scheduled debtor to a creditor shall be deemed to be wholly discharged;

(*b*) no such debt due from the scheduled debtor shall be recoverable from him or from any movable or immovable property belonging to him, nor shall any such property be liable to be attached and sold or proceeded against in any manner in the execution of any decree or order relating to such debt against him;

(c) no civil court shall entertain any suit or proceeding against a scheduled debtor for the recovery of any amount of such debt including interest if any:

Provided that where a suit or proceeding is instituted jointly against a scheduled debtor and any other person, nothing in this clause shall apply to the maintainability of a suit or proceeding in so far as it relates to such other person;

(d) all suits and proceedings (including appeals, revisions, attachment or execution proceedings) pending on the date of commencement of this Ordinance for the recovery of any such debt against a scheduled debtor shall abate:

Provided that nothing in this clause shall apply to a sale which has been confirmed before the commencement of this Ordinance;

(e) every scheduled debtor undergoing detention in a civil prison in execution of any decree for money passed against him by a civil court in respect of any such debt shall be released;

(f) every property pledged by a scheduled debtor shall, on the commencement of this Ordinance, stand released in favour of such debtor, and the creditor shall be bound to return the same to the debtor forthwith.

Explanation—Nothing in this section shall be construed to entitle any scheduled debtor to refund of any part of a debt already repaid by him or recovered from him before the commencement of this Ordinance.

Agreement for labour in lieu of debt to become void.

5. Any custom, tradition or agreement (whether entered into before or after the commencement of this Ordinance), whereunder a scheduled debtor or any member of his family is required to work as labourer or otherwise for the creditor shall be void.

SCHEDULE

[*See* Section 3 (d)]

List of Denotified Tribes

1. Banjara
2. Bhar
3. Dalera Kahar
4. Gandila
5. Ghosi (Hindu)
6. Kewat
7. Mallah
8. Lodh
9. Mewati
10. Oudhia
11. Taga Bhat
12. Khurpalta
13. Mongia (Mong)
14. Madari
15. Singiwala
16. Aughar
17. Baid
18. Bhat
19. Chamarmangta
20. Jogi
21. Joga
22. Kingiria
23. Mahawat (Langi Pathan)
24. Qalandar Faqir
25. Bhatri
26. Sapera
27. Kurmangia (Hindu Mahawat)
28. Beldar
29. Kanmalia
30. Goshain
31. Godnahar
32. Lona Chamar
33. Burgy
34. Siqligar
35. Kankali
36. Brijbasi.

AKBAR ALI KHAN,
Rajyapal,
Uttar Pradesh.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 206 सा० (विधायिका)—1728—1974—525—(मै०)।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA